प्रेस नोट थाना खुदागंज

जनपद शाहजहाँपुर

<u>सहारनीय कार्य दिनांक-06.09.25</u>

<u>"थाना खुदागंज पुलिस टीम द्वारा थाने पर पंजीकृत युवती को बहला-फुसला कर भगा ले जाने से सम्बन्धित अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार"</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक खुदागंज के नेतृत्व में थाना खुदागंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 27.08.2025 को अभियुक्त किशन पुत्र राजेन्द्र निवासी मो0 इटौआ थाना सुभाषनगर जिला बरेली व आदि 04 नफर के द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री (उम्र करीब 15 वर्ष) को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बंध मे मु0अ0सं0 204/2025 धारा 137(2) BNS पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 65(1) बीएनएस व ¾(2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। मुकदमे में वांछित किशन पुत्र राजेन्द्र उपरोक्त की लगातार तलाश जारी थी जिसके क्रम में मुखबिर की सूचना पर दिनांक 06.09.2025 को समय 05:48 AM बजे म्यूना पुलिया से लगभग 25 कदम कटरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर वांछित अभियुक्त किशन उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

किशन पुत्र राजेन्द्र निवासी मो0 इटौआ थाना सुभाषनगर जिला बरेली उम्र करीब 21 वर्ष

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

मु0अ0सं0 204/2025 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व ¾(2) पोक्सो एक्ट थाना खुदागंज

<u>गिरफ्तारी का स्थान-</u>

दिनांक 06.08.2025 को समय 05:48 AM बजे म्यूना पुलिया से लगभग 25 कदम कटरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर।

<u>पुलिस पार्टी का विवरण-</u>

1.उ0नि0 श्री मोहित कुमार
2.उ0नि0 श्री टीकम सिंह
3.का0 2096 अजय कुमार
4. का0 2819 विनीत कुमार